कार्यालय सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा–रायसेन (म0प्र0)

कमांक / 453 / विअ / न0ग्रा0नि0 / 2011 विदिशा, दिनांक 23/3/11

प्रति,

श्री संजय गोहिल आ0
प्रेमनारायण निवासी रायसेन

जिला रायसेन (म0प्र0)

विषय : कस्बा रायसेन की भूमि खसरा कंमांक 667/3/1 रकबा 2032 वर्ग मीटर भूमि पर शैक्षणिक उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा बावत् ।

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक 4.3.2011

———————0———————

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भ में कस्बा रायसेन की भूनि खसरा कंमांक 667/3/1 रकबा 2032 वर्ग मीटर भूमि शैक्षणिक उपयोग हेतु इस कार्यालय से विकास अनुज्ञा चाहा गया है। रायसेन विकास योजना में प्रश्नाधीन भूमि ~~प्रस्तावित~~ आवासीय / भू – उपयोग में निर्दिष्ट है। रायसेन विकास योजना में स्वीकृत एवं स्वीकार्य भू-उपयोग के अन्तर्गत पाठशालायें स्वीकृत है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर शैक्षणिक उपयोग हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा म0प्र0 30 (1) (ख) एवं म0 प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधान अनुसार निम्न शर्तो के आधार पर विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति / अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा ।
   1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959
   2. भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर , रायसेन
   3. नजूल अधिकारी रायसेन
   4. मध्यप्रदेश राज्य विधुत मण्डल
   5. जल संसाधन विभाग (बांध नहर नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
   6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास / निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नही होगा।
3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग के मध्य से 4.50 मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोडने के पश्चात् ही निर्माण करना होगा।
4. प्रश्नाधीन भूमि में निर्मित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाये 33% अनुसार मान्य होगा।